पंजीकरण पुस्तिका
2015 (1)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा
आगरा जोन के अन्तर्गत

खुर्जा यो0 सं0–2 एवं बुलन्दशहर यो0 सं0 1 एवं 2 में
सेमी फिनिश्ड भवनों को पाने का
सुनहरा अवसर

पंजीकरण
15 सितम्बर,2015
से प्रारम्भ

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001
Website : http://www.upavp.com. E-mail:upavp@sancharnet.in

योजनाओं के विशेष आकर्षण

योजना संख्या–1 बुलन्दशहर–

- जिलाधिकारी आवास से लगी हुयी योजना।
- हरितिमायुक्त प्रदूषण रहित आवासीय योजना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे स्थित योजना।

योजना संख्या–2 बुलन्दशहर–

- यह योजना अनूप शहर रोड पर स्थित है।
- जिला मुख्यालय से मात्र 2.50 किमी. की दूरी पर स्थित है।

योजना संख्या–2, खुर्जा

- दिल्ली–अलीगढ़ राष्ट्रीय राज्य मार्ग (जी.टी. रोड) पर स्थित।
- हरितिमायुक्त प्रदूषण रहित आवासीय योजना।
- बस स्टैण्ड, खुर्जा के ठीक सामने स्थित।

एक परिचय

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

सामान्य पंजीकरण–2015 प्रथम चरण में पंजीकरण खोले जाने हेतु सेमीफिनिश्ड भवनों का विवरण

पंजीकरण खुलने की तिथि : 15 सितम्बर, 2015 **पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15, अक्टूबर,2015**

क्र. सं.	योजना/नगर का नाम	भवनों का प्रकार/डिजाईन	सम्पत्ति कोड	भवन में समाविष्ठ भूखण्ड का क्षेत्रफल (व0मी0)	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	भवन का कुल अनुमानित मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि आरक्षण श्रेणी हेतु (रु0 में)
1.	योजना संख्या–1 बुलन्दशहर	18/40 सेमीफिनिश्ड दु.आ.वर्ग	E	40.74	24	9.90	49500	24750
		29/60 सेमीफिनिश्ड अ.आ.वर्ग	L	60.59	21	17.49	87450	43725
		45/75 सेमीफिनिश्ड अ.आ.वर्ग	M1	75.00	25	23.23	116150	58075
		80/122 सेमीफिनिश्ड म.आ.वर्ग	M2	121.89	02	37.89	189450	94725
2.	योजना संख्या–2 बुलन्दशहर	18/40 सेमीफिनिश्ड दु.आ.वर्ग	E	40.74	11	9.90	49500	24750
		106/162 सेमीफिनिश्ड उ.आ.वर्ग	H	162.00	10	50.11	250550	125275
3.	योजना संख्या–2 खुर्जा	29/60 सेमीफिनिश्ड अ.आ.वर्ग	L	60.59	24	13.14	65700	33850

उ.आ.वर्ग : उच्च आय वर्ग, म.आ.वर्ग : मध्यम आय वर्ग, अ.आ.वर्ग : अल्प आय वर्ग, दु.आ.वर्ग : दुर्बल आय वर्ग

- आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के कुल मूल्य में कोई छूट नहीं है।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने पर

- दुर्बल आय वर्ग भवन के आवंटन के पश्चात 10 प्रतिशत एक माह मे व शेष धनराशि 15 वर्षो की सब्याज मासिक किश्तों में।
- अल्प आय वर्ग भवन के आवंटन के पश्चात 30 प्रतिशत एक माह में व शेष धनराशि 12 वर्षो की सब्याज मासिक किश्तों में।
- मध्यम आय वर्ग भवन के आवंटन के पश्चात 40 प्रतिशत एक माह में शेष धनराशि 10 वर्षो की सब्याज मासिक किश्तों में।
- उच्च आय वर्ग के भवन आवंटन के पश्चात 50 प्रतिशत एक माह में व शेष धनराशि 10 वर्षो की सब्याज मासिक किश्तों में।

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर

- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने पर भवन के कुल मूल्य का 3 माह में भुगतान करना होगा।
- आवंटन के पश्चात पत्र निर्गम तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्पत्ति के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर भवनों में कुल मुल्य का 2 प्रतिशत की छूट की विशेष सुविधा।

नोट

- तालिका में दर्शायी गयी सम्पत्तियों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिर्वतन करना पड़ा तो तद्नुसार आवंटी को भुगतान करना होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या/मूल्य में कमी/वृद्धि हो सकती है जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- भवनों के मूल्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल हेतु तत्समय आगणित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज भी देय होगा।
- भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- भवन का अन्तिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू मूल्य भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा अपितु आवंटन तिथि पर प्रचलित भूमि दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा।
- दुर्बल आय वर्ग भवनों के लिए 500/- अथवा शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पर अनुबन्ध निष्पादित किये जायेंगे।
- कार्नर की सम्पत्तियों पर भूमि मूल्य का 10% अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
- सम्पत्ति का मूल्य अनुमादित है जो वास्तविक गणना के आधार पर परिवर्तनीय है।

बैंक शाखाओं के नाम व पते

जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि : 15 अक्टूबर, 2015

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु बैंक		
क्र.सं.	बैंक का नाम	योजना का नाम
1.	केनरा बैंक, आवास विकास कालोनी, डी0एम0रोड, बुलन्दशहर, श्री पी0 के0 सिंह गुप्ता, शाखा प्रबन्धक मोबाइल : 8979939468	बुलन्दशहर योजना सं0-1 व 2
2.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, पुरानी तहसील रोड़ खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर श्री अर्जुन सिंह, शाखा प्रबन्धक मोबाईल नं0 - 08057956644	खुर्जा योजना संख्या-2

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जनप्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग,उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

महत्वपूर्ण नोट

1. सामान्य पंजीकरण 2015 (प्रथम चरण) की पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य उपरोक्त बैक से किया जायेगा।

2. (अ) डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मगाने हेतु रु0 300.00/- (पुस्तिका मूल्य एवं डाक व्यय (रु0 50/-) प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंकों एवं जन प्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ से प्राप्त की जा सकती हैं।

   (ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिये बैंक/परिषद उत्तरदायी नही होगा।

3. बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" सामान्य पंजीकरण वर्ष 2015 (प्रथम) के नाम से स्थानीय नगर पर देय होगा। पंजीकरण धनराशि नगद नहीं जमा की जायेगी।

आवेदन कैसे करें ?

1. इस पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र एवं चालान को भरने से पहले आप पूरी पुस्तिका को भली भांति पढ़ लें।
2. पुस्तिका के आवेदन पत्र और चालान पर क्रमांक अंकित है इन पर एक ही क्रमांक होना चाहिये। आवेदन पत्र और चालान एक ही क्रमांक के जमा किये जाने चाहिये, अर्थात एक पुस्तिका का आवेदन पत्र तथा दूसरी पुस्तिका का चालान जमा करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
3. इस पंजीकरण का चरण संख्या, कोड 2015-01 है जो आवेदन पत्र, चालान तथा पुस्तिका पर अंकित है। यह आवेदन पत्र/चालान केवल इसी चरण विशेष के लिये इसकी अन्तिम निर्धारित तिथि के पूर्व प्रयोग किया जा सकता है।
4. यदि आवेदन पत्र एवं चालान पर चरण कोड या क्रमांक मुद्रित नहीं है या पुस्तिका के आवेदन पत्र/चालान पर क्रमांक भिन्न है तो इस पुस्तिका को लौटा दें। आपको दूसरी प्रति बिना मूल्य तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र में सम्पत्ति श्रेणी व प्रकार का उल्लेख अवश्य होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. पंजीकरण की धनराशि एवं आवेदन पत्र कैसे जमा करें :-

   इस दौर में पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन पत्र जमा करने की व्यवस्था निर्धारित शहर के बैंक शाखा में की गयी है। ऐसा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:-

(1) आवेदन पत्र, चालान की सभी प्रतियां भरकर निर्धारित पंजीकरण धनराशि "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद" सामान्य पंजीकरण-2015(1) के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर निर्दिष्ट बैंक शाखा में जमा करे। यदि आप बैंक ड्राफ्ट जमा कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि जिस नगर के लिए आप आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, ड्राफ्ट उस नगर में भुगतान योग्य हो। बैंक, आवेदन पत्र तथा संलग्नकों को जमा कर लेगा तथा चालान की चौथी प्रति हस्ताक्षरित कर एवं मोहर लगाकर आपको लौटा देगा, जिसे आप सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें।

(2) यदि आपको डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित करना सुविधाजनक हो तो चालान की चारों प्रतियां भरकर आवेदन पत्र तथा बैंक ड्राफ्ट सहित बैंक के दिये गये पते पर इस प्रकार भेजें कि यह अन्तिम तिथि तक अवश्य पहुंच जाये। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा उसके एजेण्ट बैंक, डाक में होने वाले विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। यह ध्यान रखें कि बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित शहर में भुनाया जा सकता हो। बैंक आपको चौथी प्रति डाक द्वारा भेज देगा।

(3) परिषद कार्यालय पर बैंक ड्राफ्ट, पे-आर्डर, नकद या किसी अन्य रूप से भुगतान तथा आवेदन पत्रादि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सामान्य नियम

1. ऊपर दी गयी कार्य विधि के अनुसार पंजीकरण के लिए बतायी गयी धनराशि आवेदन-पत्र के साथ न जमा करने पर आवेदंन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. केवल पुस्तिका में संलग्न प्रपत्र पर ही आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण या गलत आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
3. इस चरण की अन्तिम तिथि, जो पुस्तिका में दी गयी है, के पश्चात जमा किये गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
4. कृपया आवेदन-पत्र जमा करते समय यह भली-भांति सुनिश्चित कर लें कि वांछित सम्पत्ति के आवेदन हेतु पंजीकरण सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो, औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर पंजीकरण किया जाना सम्भव न होगा।

सामान्य सूचनायें

इस पुस्तिका में केवल सामान्य सूचनायें दी गयी हैं। विस्तृत सूचना के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनिमय-1979 यथा संशोधित.जून, 1986 तथा समय-समय पर विनियमावली में संशोधन जो परिषद मुख्यालय तथा आवंटन स्थलो पर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी। पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी सभी कार्यवाही उपरोक्त विनियमावली एवं शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। इनमें समय-समय पर किये गये संशोधन भी लागू होंगे।

पात्रता -

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु आवेदन करते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
3. आवेदक तथा उसके परिवार के पास उस नगर में जहां भवन/भूखण्ड आवंटित होना है कोई अपना भवन अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक अथवा उसके परिवार के पक्ष में परिषद द्वारा सम्बन्धित नगर में पहले कोई भवन/भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है और यदि पहले कराये गये पंजीकरण के फलस्वरूप कोई सम्पत्ति आवंटित हो जाती है तो यह पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा एवं परिषद नियमानुसार पंजीकरण/ आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

पंजीकरण सम्बन्धी नियम -

1. पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता हैं। संयुक्त पंजीकरण केवल पति-पत्नी के नाम से अनुमन्य हैं
2. पंजीकरण के खुले चरण में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के भली-भांति परीक्षणोपरान्त सही पाये गये सभी आवेदन पत्रों से सम्बन्धित पंजीकृत व्यक्तियों की पात्रता सूची चरणवार लाटरी द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम (स्यूडो रैण्डम प्रणाली) से निर्धारित का जायेगी।
3. परिषद में पंजीकृत हर व्यक्ति को, परिषद भूखण्ड/भवन देने के लिये बाध्य नहीं है और यदि किसी आवेदक को वांछित सम्पत्ति नहीं मिल पाती तो इसके लिये वह परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार न होगा।

पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं धन की वापसी

1. पात्रता चयन ड्रा में सफल पंजीकृत आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्तीकरण तथा पंजीकरण धनराशि की वापसी का आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा नियमानुसार सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि का 20% की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापसी की कार्यवाही की जायेगी जो समस्त श्रेणी के आवेदकों पर लागू होगी। पात्रता ड्रा से पूर्व वापसी का आवेदन करने पर तथा पात्रता ड्रा में असफल आवेदकों की जमा धनराशि बिना कटौती एवं बिना ब्याज वापस की जायेगी।
2. पात्रता ड्रा के पश्चात पात्रता चयन में असफल पंजीकृत आवेदकों को उनकी पंजीकरण धनराशि जमाकर्ता बैंक द्वारा उनके पत्र व्यवहार के पते पर एकाउण्ट पेई चेक/ड्राफ्ट के माध्यम अथवा बैंक के माध्यम से उनके खाते में बिना कटौती एवं बिना ब्याज वापस की जायेगी।
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के खो जाने पर आवेदक को परिषद के सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा ताकि उसे पर्जीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सके।

पंजीकरण हेतु जमा धनराशि –

1. पात्रता चयन में सफल आवेदकों की पंजीकरण हेतु जमा धनराशि, एक वर्ष से अधिक अवधि तक सम्पत्ति आवंटित न होने की दशा में, 4 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा। यह ब्याज उस धनराशि के परिषद खाते में जमा होने के माह के आगामी माह की पहली तारीख से वापस लेने की तारीख के पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक देय होगा अथवा उसे पंजीकृत आवेदक को आवंटित सम्पत्ति के मूल्य मे समायोजित कर लिया जायेगा।
2. ऐसी धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित देय या समायोजित नहीं होगा जो परिषद के पास एक वर्ष से कम अवधि तक जमा रही हो।
3. परिषद किसी भी ऐसी धनराशि या उस पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगी जो बैंक अथवा जमाकर्ता व्यक्ति की गलती से परिषद के खाते में जमा हुई हो। इस सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

आवासीय ऋण की सुविधा

आवासीय सम्पत्ति क्रय/निर्माण करने हेतु ऋण की सुविधा निम्नलिखित संस्थाओं आदि द्वारा उपलब्ध करायी जाती है :–

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड)।
2. भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकें।

आवंटन सम्बन्धी नियम व शर्ते

1. एक आवेदक जिसमें उसके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं, को उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर में एक ही भूखण्ड या भवन आवंटित किया जायेगा। प्रदिष्टि सम्पत्ति के नगर के अतिरिक्त अन्य किसी एक नगर में स्वयं वित्त पोषित योजना का एक भवन आवंटित किया जा सकता हैं।

2. आवंटित सम्पत्ति का विक्रय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समय-समय पर परिषद् द्वारा जो नियम अनुमन्य होंगे, इस योजना के आवंटियों पर भी लागू होंगे।

3. योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होन की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को आरक्षण के क्रमानुसार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा भवनों की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी आवेदकों की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे। पात्रता उपलब्ध सम्पत्यिों की नम्बरिंग (ऑफर) प्राप्त होने के बाद की गयी लाटरी तिथि को ही आवंटन माना जायेगा और इस लाटरी की तिथि पर प्रचलित दर पर सम्पत्ति मूल्य की गणना की जायेगी।

4. समस्त चयनित आवेदक/पात्र आवेदक समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त नव निर्मित/विकसित सम्पत्तियों का लाटरी पद्धति से भवनों की संख्या का आवंटन किया जायेगा।चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से एक साथ रहने के आधार पर भवनों की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थनापत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा संभव हो जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति मे ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी मे ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

5. प्रदेशन पत्र में निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि जमा न करने तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति न करने पर प्रदेशन परिषद नियमानुसार कटौती करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा और सम्पत्ति अन्य व्यक्ति को परिषद नियमानुसार आवंटित कर दी जायेगी।

6. आवंटन के पश्चात निरस्तीकरण की दशा में तीन माह के भीतर आवेदन करने पर सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत तथा तीन माह के पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

7. पंजीकरण/आवंटन आदि से संबंधित किसी भी मामले मे आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका मे यहाँ अथवा अन्य किसी स्थान पर वर्णित किन्ही भी शर्तो को शिथिल किये जाने का अधिकार होगा।

8. सम्पत्ति के आवंटन हेतु सम्बन्धित शहर/योजना के स्थानीय सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा जोन कार्यालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

9. उपरोक्त समस्त सूचनायें परिवर्तनीय हैं जिसमें किसी पूर्व नोटिस के बिना परिवर्तन का अधिकार आवास आयुक्त मे निहित है।

नोट- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/प्राविधान प्रभावी होंगे।

आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के भवनों/भूखण्डों में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद् के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा जो वर्तमान मे निम्नानुसार है।

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	– तदैव –
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	– तदैव –
4.	विधायक/सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण–पत्र
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप मे उपलब्ध करायें। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण–पत्र अथवा वैधानिक प्रमाण–पत्र

नोट : उपरोक्त में से क्रमांक – 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी मे उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानुसार हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सम्पत्यिों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (उ0प्र0 सरकार द्वारा सरकारी गजट मे प्रकाशित सूची के अनुसार) के आवेदकों की सम्पत्तियों के आवंटन मे आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो उत्तर प्रदेश मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे। जाति प्रमाण उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

विस्थापितों के लिय प्राविधान– विस्थापित आवेदकों को शासनादेश/परिषद आदेश के अनुरूप आवंटन मे सम्मिलित सम्पत्ति के 10 प्रतिशत सीमा तथा प्रथमिकता दी जायेगी। शेष नियम परिषद/शासनादेशानुसार ही लागू होगें।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार -

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय -

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन -

"भवन या मकान" शब्द में : "फ्लैट" भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति -

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा -

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेंक और दीनार से हैं।

चरण (पंजीकरण का खुलना)-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर -

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य-

उ.प्र.राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य–

सेवारत/सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों औश्र अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम–1994) अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की अनुसूची–एक मे विनिर्दिष्ट है। इस अतधिनियम की अनुसूची–दो मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी मे आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य–

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

योजना के क्रियान्वयन, निर्माण एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-33 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मालवीय पुस्तकालय योजना जी.टी. रोड़ अलीगढ़ दूरभाष : 0571-2421272, मो0 : 8795810191	**कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद हाउस नं0-एस.एफ.एस.-89-90 योजना संख्या-1 बुलन्दशहर मोबाइल : 8795811286, 8795810232
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता षष्ठम वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स कमलानगर आगरा दूरभाष : 0562-2880097	**कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स कमलानगर आगरा दूरभाष : 0562-2881430

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

शहर	कोड
खुर्जा	070
बुलन्दशहर	029

योजना	कोड
योजना संख्या-2 खुर्जा	016
योजना संख्या-1 बुलन्दशहर	013
योजना संख्या-2 बुलन्दशहर	140

भुगतान	कोड
किस्तों पर	01
नगद	02

सम्पत्ति श्रेणी	कोड
1. 18/40 दुर्बल आय वर्ग	E
2. 29/60 अल्प आय वर्ग	L
3. 45/75 अल्प आय वर्ग	M1
4. 80/122 मध्यम आय वर्ग	M2
5. 106/162 उच्च आय वर्ग	H

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरूष	M

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04

हारिजेन्टल आरक्षण	कोड
विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
विस्थापित	W

वार्षिक आय		कोड
दुर्बल आय वर्ग हेतु	रू0 100000/- (एक लाख तक)	01
अल्प आय वर्ग	रू0 200000/- (दो लाख तक) (केवल जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।)	02
मध्यम/उच्च आय वर्ग भवन/भूखण्ड	कोई आय सीमा नहीं	03

आवेदन -पत्र भरने के लिये निर्देश

1. आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाले वाले प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।

2. आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाय।

3. आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं, अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लॉक (BLOK) को अंग्रेजी की बड़े अक्षरों (BLOK LATTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा मे किये जा सकते हैं।

4. आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5. आवेदक को पासपोर्ट साइज स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति/पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति मे दोनों का युक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित है।

6. एक ब्लॉक (BLOK) मे एक ही वर्ण (अक्षर या अंक लिखें)।

7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच सथान छोड़ने हेतु ब्लाक मे एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ा जाये।

8. आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम मे पुरुष हेतु "M" एवं महिला हेतु "F"भरें।

9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय मे पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-1 मे दिये गये विवरण मे से किसी एक को भरना होगा।

10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित आरक्षण नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने मे आवेदक पर विचार अनारक्षित श्रेणी में किया जायेगा।

11. कोड न भरने की स्थिति में आवेदक पर अनारक्षित श्रेणी में विचार किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किंसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न हाने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

12. बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर का लेखा शीर्षक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सामान्य पंजीकरण वर्ष 2015 (प्रथम) जो सम्बन्धित शहर (जहाँ सम्पत्ति क्रय करना है) में देय होगा।

13. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु–11 मे दिया जायेगा। आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों सावधानी पूर्वक अंकित कर आवेदन पत्र के साथ लगाना आवेदक के हित में होगा।

14. पात्रता ड्रा के असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बैंक एकाउन्टस के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। पूर्ण सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र मे अपना बैंक एकाउन्ट न्म्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पाये।

15. आवेदन पत्र मे केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।

16. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार नही होगा।

17. परिषद से भविष्य मे पत्र व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।

18. आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।

19. आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई.डी., डी.एल., पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।

रु. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..उम्र..........
................वर्ष...................... पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी...
....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ :

1. मैं एतद्‌द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करत/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र मे उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन आवंटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद मुख्यालय को दूँगा/दूँगी।
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष ....में (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) समस्त स्रोतों से मेरी कुल वर्षिक आय (रू0.... ....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं एतद्द्वार शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्‌द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

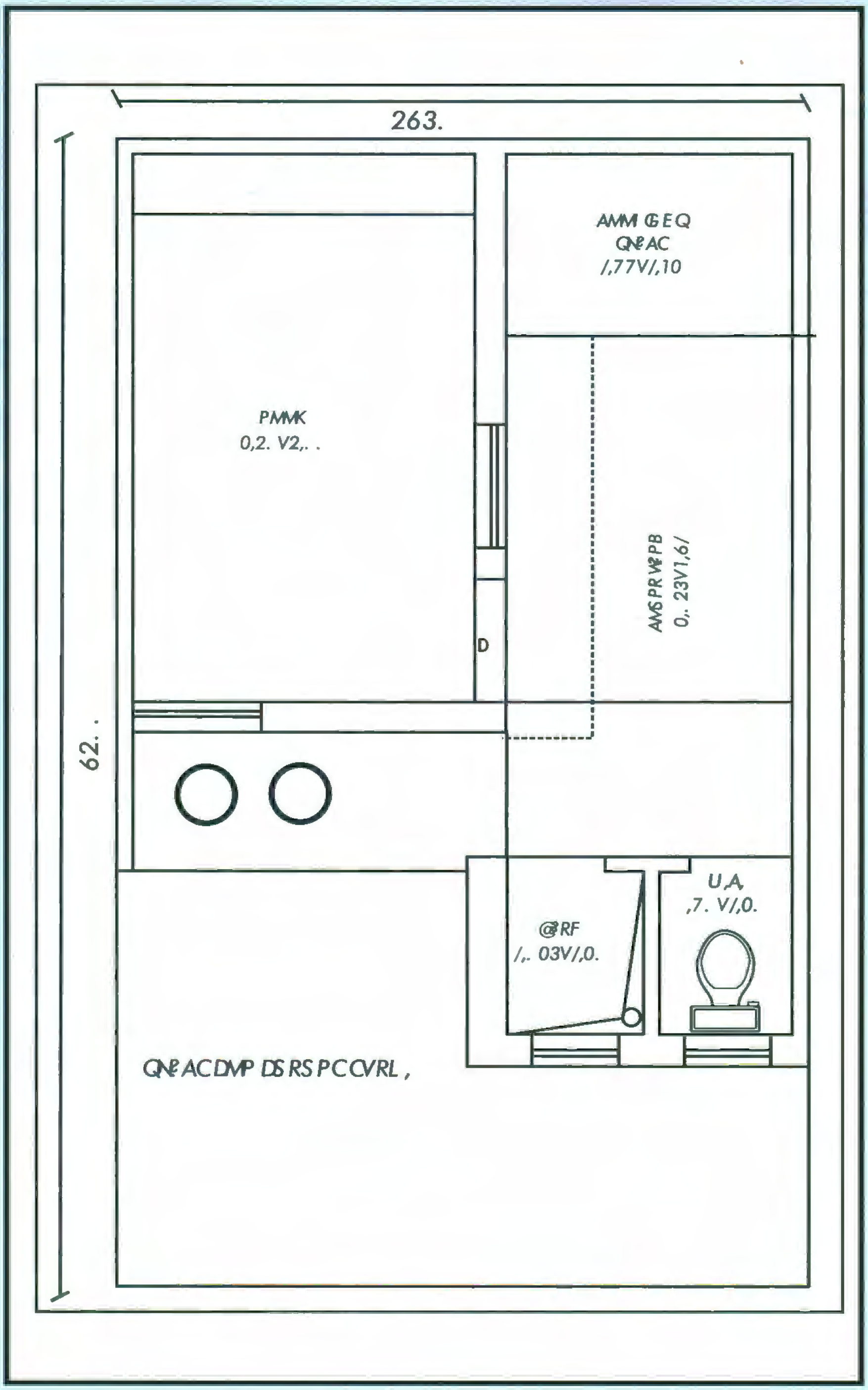

भवन प्रकार - 18/40

(NOT TO SCALE)

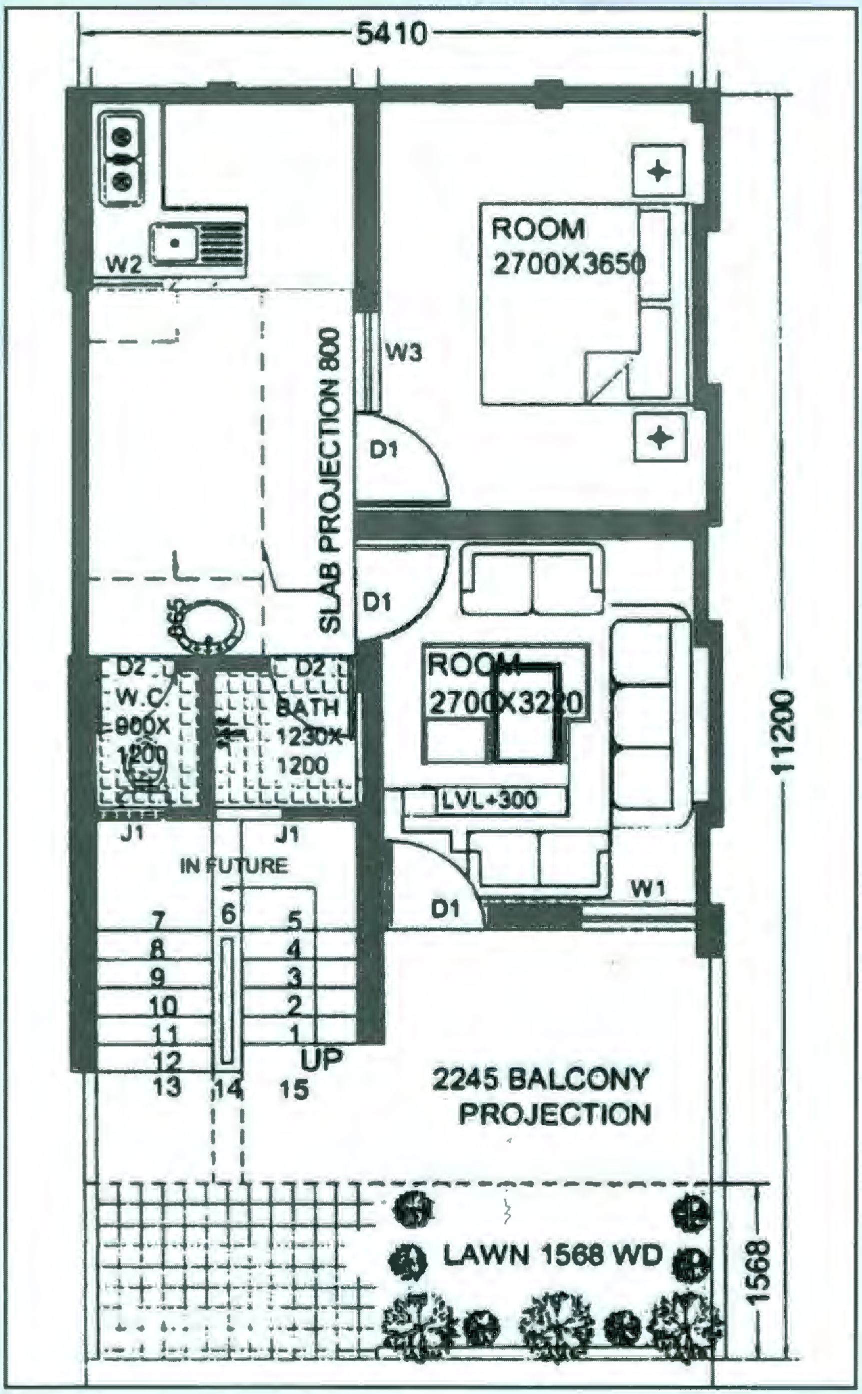

भवन प्रकार - 29/60
(NOT TO SCALE)

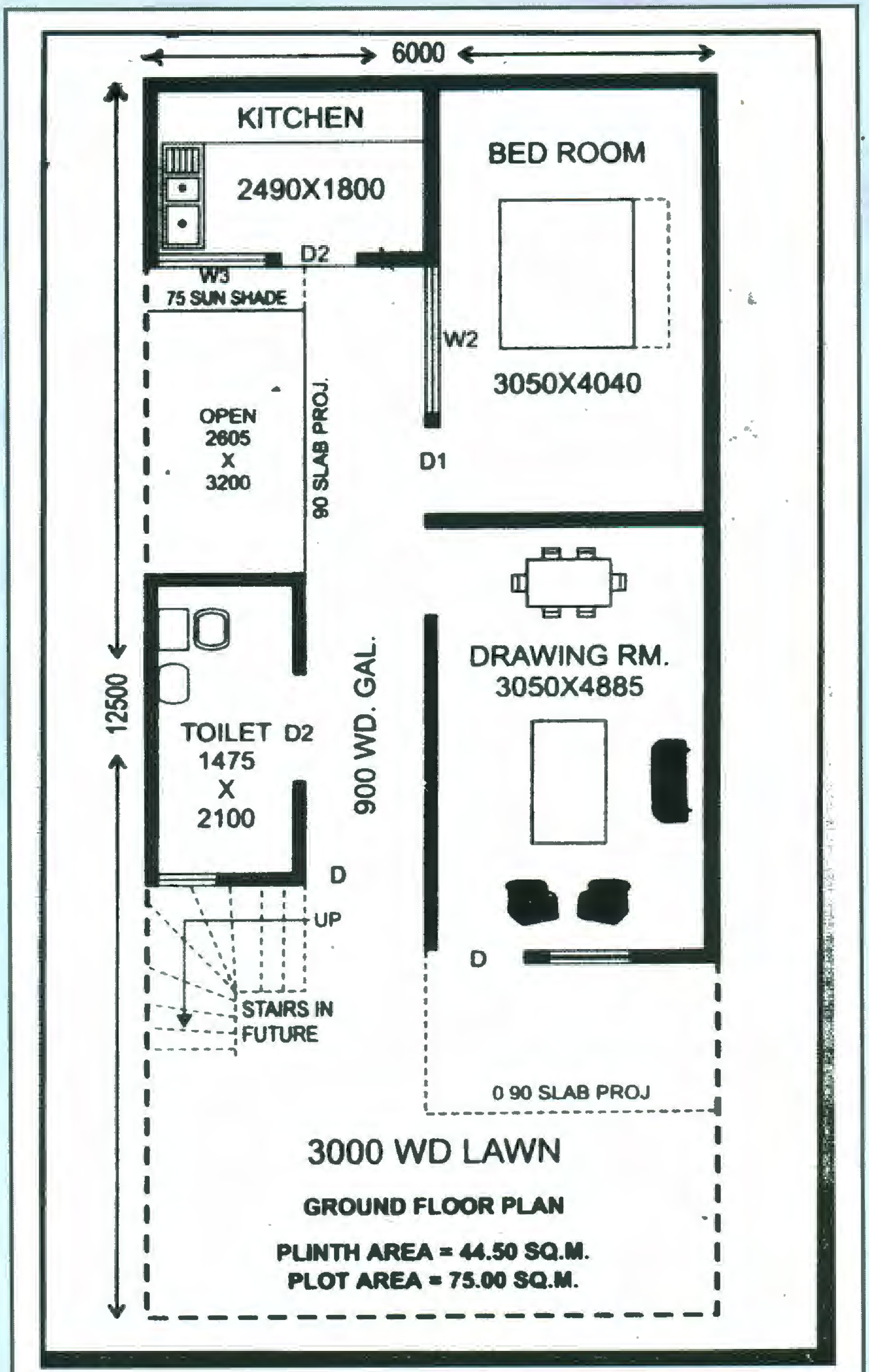

भवन प्रकार - 45/75
(NOT TO SCALE)

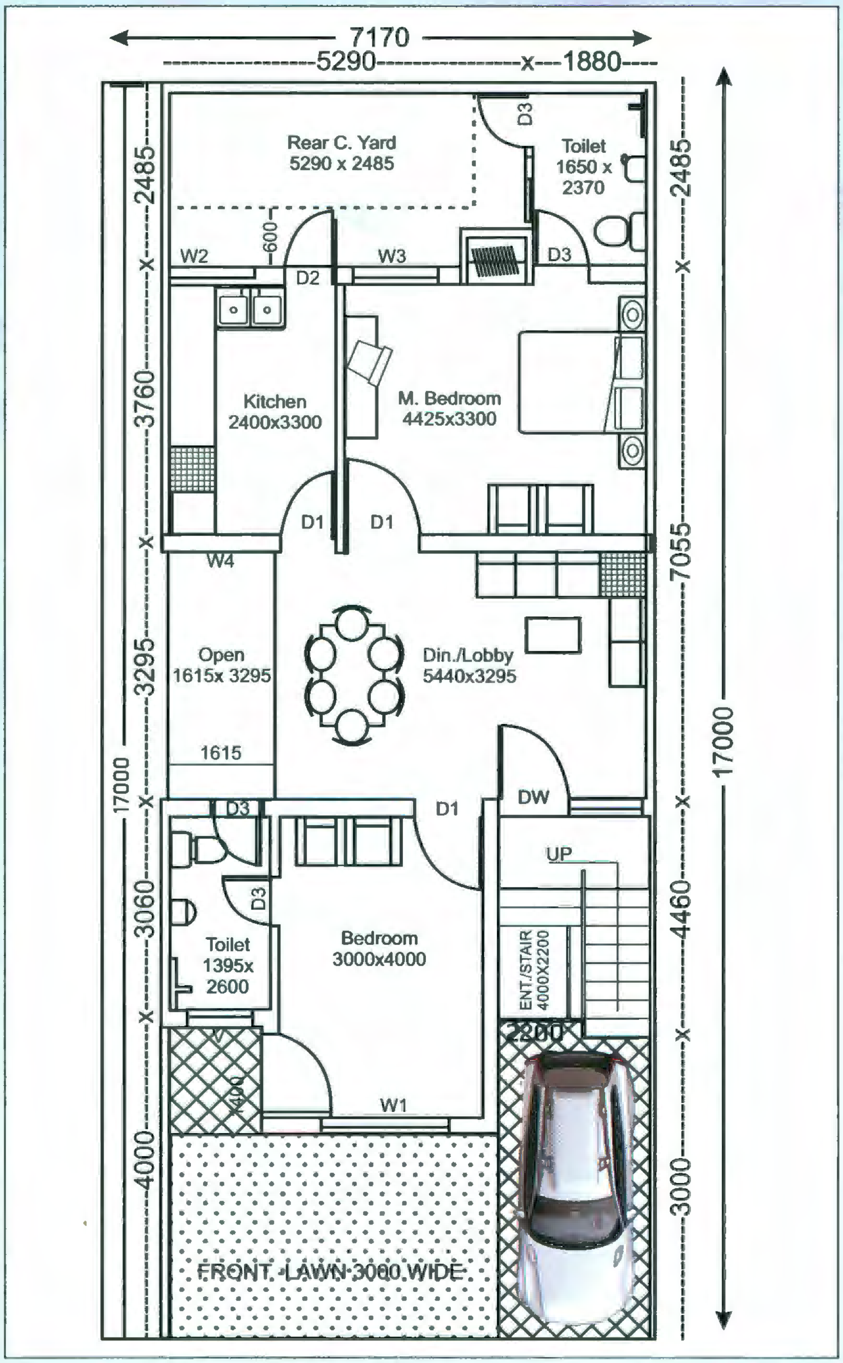

भवन प्रकार - 80/122

(NOT TO SCALE)

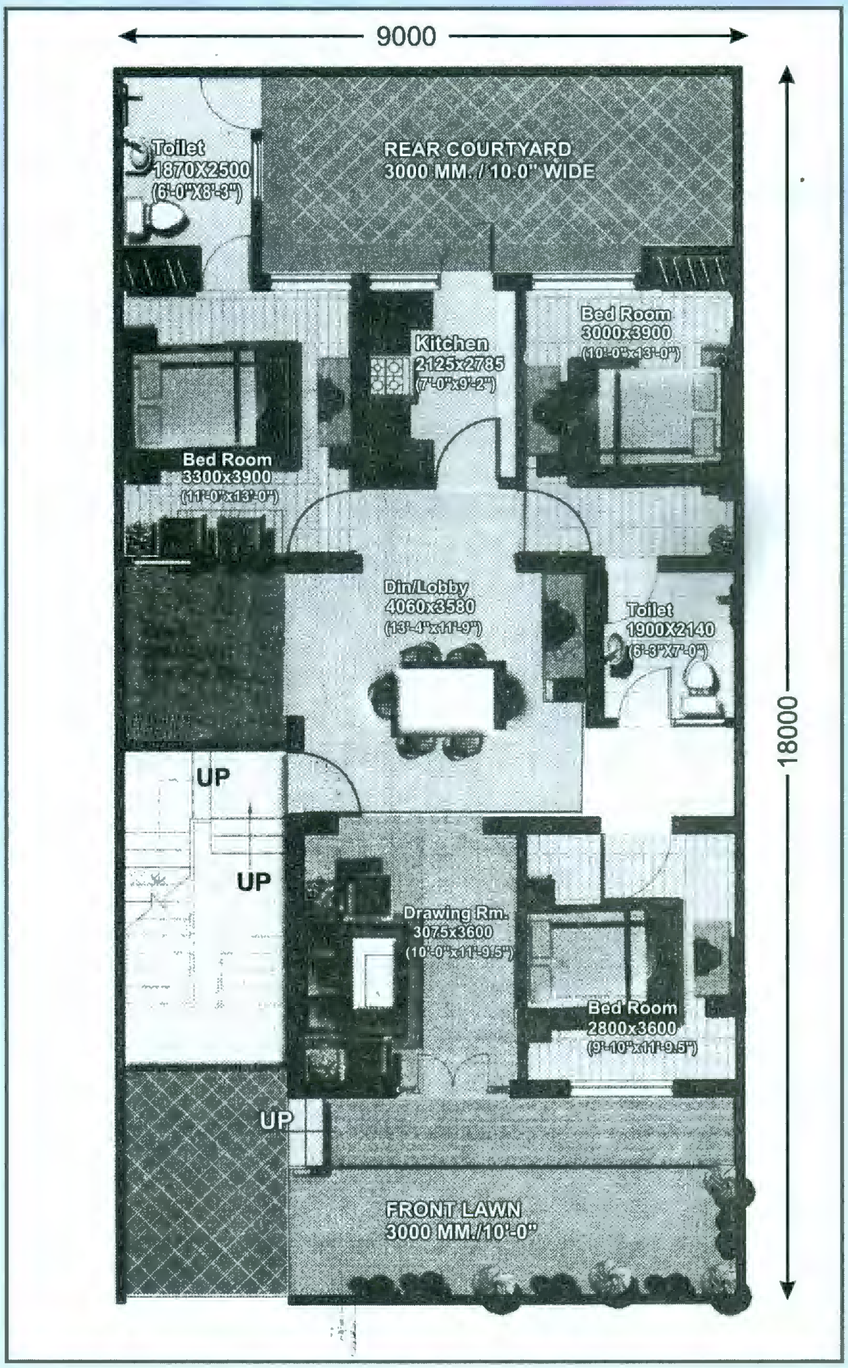

भवन प्रकार – 106/162

(NOT TO SCALE)

चालान संख्या 0007

चरण संख्या | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | **आवेदक प्रति** **4**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण जमा चालान

लेखा शीर्षक : पंजीकरण खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (स्वच्छ अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

शहर/योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार

जमा की धनराशि रू.

(शब्दों में) रू.

कार्यालय प्रयोग हेतु

1. नकद जमा : दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट : दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

चालान संख्या 0007

चरण संख्या | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | **परिषद प्रति** **3**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण जमा चालान

लेखा शीर्षक : पंजीकरण खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (स्वच्छ अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

शहर/योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार

जमा की धनराशि रू.

(शब्दों में) रू.

1. नकद जमा : दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट : दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

चालान संख्या 0007

चरण संख्या 2 0 1 5 0 1 परिषद प्रति **2**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण जमा चालान

लेखा शीर्षक : पंजीकरण खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (स्वच्छ अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

शहर/योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार

जमा की धनराशि रू.

(शब्दों में) रू.

कार्यालय प्रयोग हेतु

1. नकद जमा : दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट : दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

चालान संख्या 0007

चरण संख्या 2 0 1 5 0 1 बैंक प्रति **1**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण जमा चालान

लेखा शीर्षक : पंजीकरण खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (स्वच्छ अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

शहर/योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

कार्यालय प्रयोग हेतु

सम्पत्ति का प्रकार

जमा की धनराशि रू.

(शब्दों में) रू.

कार्यालय प्रयोग हेतु

1. नकद जमा : दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट : दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद **रिफण्ड वाउचर फार्म** **पंजीकरण संख्या**

(पैराग्राफ 194 चैप्टर-9)
(फ.ह.बु. वैल्युम 5 पार्ट-प्रथम)

लेखा शीर्षक	जमा करने का उद्देश्य	जमा धनराशि	परिषद खाते में जमा तिथि	देय ब्याज की अवधि	कटौती (यदि कोई हो)	भुगतान हेतु देय धनराशि	जमा धनराशि सम्बन्धित सत्यापन एवं उसका विवरण	आवेदक का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कार्यालय प्रयोग हेतु

[illegible] शहर [illegible] एकाउण्ट

नगर का नाम

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
रसीदी टिकट

पूरा नाम ....

पता..............................

....

आवेदनकर्ता का एकाउन्ट नम्बर

व बैंक शाखा का नाम

बैंक का नौ डिजिट

का माईकर कोड ....

आई.एफ.सी. न0 ....

डी.सी.आर. नं. ....

....

पेज नं. ....

क्रम सं. ....

कार्यालय प्रयोग हेतु

लेजर फोलियो नं. ....

पर जमा एवं कटौती का आंकलन कर लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... ने मेरे सक्षम रु. 1/- के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर किये एवं इनका पता वही है जो टिकट के नीचे लिखा है।

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट : कृपया रु. 1/- के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर (स्पष्ट पते सहित) किसी राजपत्रित अधिकारी या उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के किसी अधिकारी द्वारा उनकी नाम की मोहर सहित प्रमाणित कराकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र/चालान की चतुर्थ प्रति मूलरूप में साथ मे यह रिफण्ड वाउचर परिषद मुख्यालय को लौटाने का कष्ट करें।

रिफण्ड अधिकृत

सम्पत्ति प्रबंधक/सहायक आवास आयुक्त

भुगतान पारित रु. ....

(शब्दों में) ....

....

पारण अधिकारी

पंजीकरण संख्या
REGISTRATION No.

(केवल कार्यालय उपयोगार्थ)
(FOR OFFICE USE ONLY)

फार्म संख्या
FORM NO. 0007

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

2	0	1	5	0	1

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION

HOUSES

आवेदक का स्व-हस्ताक्षरित फोटो	आवेदक का स्व-हस्ताक्षरित फोटो

1. शहर का नामः
Town Name ____________ कोड ☐☐☐

2. योजना का नाम
Scheme's Name. कोड ☐☐☐

3. भवन का प्रकार :— ____________ सम्पत्ति कोड ☐☐☐☐☐ सेक्टर / Sector No. ____________

4. आवेदक का नाम श्री / श्रीमती / कु. ________________________
(हिन्दी में)
Applicant's Name
Sri/Smt/Km :
(In English)

5. पिता / पति का नाम श्री ________________________
(हिन्दी में)
Father/Husband's Name
(In English)

नामांतरण / Nomination

मैं ________________________ यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती ________________________ जो रिश्ते में मेरे / मेरी ____________ ____________ हैं को मैं इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता / करती हूँ।

कार्यालय प्रयोग हेतु

6. वार्षिक आय / Annual Income : ____________ अंको में (शब्दों में) ____________
(आय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)

7. लिंग (Sex) (✓टिक करें) | M | F | आयु Age ☐☐ जन्मतिथि Date of Birth ☐☐ तिथि ☐☐ माह ☐☐☐☐ वर्ष

8. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)
Reservation Category: ________________________
(Attested Copy of Certificate to be Attached)
आरक्षण कोड ☐☐
हारिजन्टल कोड ☐☐

8. पत्राचार–व्यवहारं का पता (हिन्दी में)
____
____
____

Correspondence Address :
(in English)

फोन नं. / मोबाइल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

(यहाँ से काटें)

10. स्थायी पता (हिन्दी में) ______________________________

____

____

Permanent Address : (in English) [ ]

फोन नं./मोबाइल नं. (यदि कोई हो) [ ]

पिन कोड Pin Code : [ ]

10. पंजीकरण धनराशि (अंकों में) Registration Amount (in Figures) : रु. Rs. [ ] शब्दों में In Words ______________

11. बैंक ड्राफ्ट नं./पे आर्डर नं./दिनांक/ Bank Draft No./Pay Order No. Date : ______________ बैंक का नाम तथा शाखा Bank Name & Branch : ______________

____

12. भुगतान विकल्प कोड (✓टिक करें) नकद [ ] किश्त [ ]

13. **भूखण्डों हेतु चयनित न होने की दशा में पंजीकरण हेतु जमा की. गयी धनराशि को रिफण्ड हेतु बैंक का नाम व खाता संख्या का अवश्य उल्लेख करें।**

आवेदक का बैंक खाता संख्या (कम्प्यूटराइज्ड) [ ]

बैंक व शाखा का नाम ______________________________

(A) आईएफएससी कोड IFSC Code [ ]

(B) एमआईसीआर (माईकर) MICR [ ]

14. संलग्न दस्तावेजों की सूची List of Enclosed Documents ______________________________

1- 2- 3- 4-

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है और इस विषय मे कुछ भी नहीं छिपाया गया है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बोशर/आवंटन की नियम एवं शर्तो मे वर्णित ग्राहयता की नियम व शर्ते पूर्ण करता/करती हूँ सभी नियम व शर्तो को पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने मे सहमत हूँ।

Declaration

I hereby declare that the foregoing information is correct, true and complete to the best of my knowledge and nothing has been concealed/distorted. I further declare that, I fulfill the eligibility condition in the Brochure and I have carefully read and understood the terms and conditions and hereby agree to abide by the same.

दिनांक/Date : ______________

आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of the Applicant

नोट : पंजीकरण धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के द्वारा स्वीकार की जायेगी। नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

केवल बैंक के उपयोग के लिए
FOR BANK'S USE ONLY

पंजीकरण धनराशि रु. Registration Amount Rs. [ ]

क्रेडिट की तिथि Date of Credit [ ]

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत
व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें : 1800 - 180 - 5333 (टोल फ्री) 0522 - 2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस
प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध हैं।

हमारा प्रयास

सबको आवास

नोटः मुख्य पृष्ठ पर अंकित भवन का चित्र होने वाले निर्मित भवन से भिन्न हो सकता है। इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

Website : http://www.upavp.com. E-mail:upavp@sancharnet.in

मूल्य ₹ 300.00/-
(286-00+14-00 VAT)